



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फाईल सं. Ad/102/2024-ADMIN

दिनांक: 18.07.2024

परिपत्र

विषय: कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान संघ की गतिविधियों से दूर रहने के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय समय (सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक) के दौरान संघ की गतिविधियों तथा सभाओं में भाग लेने से सख्ती से दूर रहें तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपने संबंधित सीट/डेस्क/कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित न रहें, ऐसा न करने पर उन कर्मचारियों के विरुद्ध बिना किसी संदर्भ/पत्राचार के सख्त प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सचिन सिंह
उप निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

1. सभी कर्मचारी/अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम।
2. अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद।